Circular Serial No.

Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23710519, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या
No. **4/33/85-O&M**

Speed Post/By Hand
Date: 20 July, 2012

प्रेषक
From

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

The Directors/Heads of all National Labs./Instts. of CSIR

Sub: Delegation of power for according permission for acquisition/disposal of movable/ immovable property.

Sir,

I am to state that powers to grant permission for acquisition/disposal of movable/immovable property in terms of Rule 18(2) and 18(3) of the CCS(Conduct) Rules, 1964 in respect of officers holding posts upto the level of Scientist-F (Senior Principal Scientists) working in the Labs./Instts. were delegated to the Directors/Heads of National Labs./Instts. vide this office circular No. 1(41)/79/O&M dated 19th March, 1990.

DG, CSIR in exercise of the powers conferred upon him vide Rule 53 of the Rules and Regulations and Bye-laws of CSIR, has been pleased to delegate the power to the Directors/Heads of National Labs/Instts. for granting permission for acquisition /disposal of movable/immovable property in respect of officers upto the level of Scientists-G (Chief Scientists) in terms of the CCS (Conduct) Rule ibid. The cases of acquisition/disposal of movable/immovable property by the Director and Sr.COA/COA and AO where Sr.COA/COA is not posted will be referred to the CSIR.

Yours faithfully,

20/7/12

(Anjali Tewari)
Chief Vigilance Officer

Copy to:

1. Sr. COAs/COAs/AOs of all National Labs,/Instts.
2. O/o DG,CSIR
3. O/o JS (Admn.),CSIR
4. O/o FA, CSIR
5. Sr. DS(HR)
6. DS(PD)/DS(CO)/DS(Complex)
7. IT Division, CSIR Hqrs, for placing this circular on CSIR website.

परिपत्र क्रमांक.

Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23710519, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या 4/33/85-ओएंडएम
No.

स्पीड पोस्ट/दस्ती
दिनांक : 20 जुलाई, 2012

प्रेषक
From

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय : चल/अचल संपत्ति के अधिग्रहण/निपटान हेतु अनुमति देने के अधिकार का प्रत्यायोजन

महोदय,

मुझे यह कहना है कि सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(2) और 18(3) के अनुसार इस कार्यालय के दिनांक 19 मार्च, 1990 के परिपत्र सं. 1(41)/79/ओएंडएम के माध्यम से प्रयोगशालाओं/संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक-एफ (सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट) स्तर तक के पदधारियों को चल/अचल संपत्ति के अधिग्रहण/निपटान हेतु अनुमति प्रदान करने की शक्तियां राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों/प्रधानों को दी गई थीं।

महानिदेशक, सीएसआईआर ने सीएसआईआर के नियमों एवं उपनियमों और उपविधियों के नियम 53 के माध्यम से उन्हें प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के अनुसार वैज्ञानिक-जी (चीफ साइंटिस्ट) के स्तर तक के पदधारियों की चल/अचल संपत्ति के अधिग्रहण/निपटान हेतु अनुमति देने के अधिकार को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों/प्रधानों को प्रत्यायोजित किया है। निदेशक एवं वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक तथा प्रशासनिक अधिकारी, जहाँ वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक तैनात न हो, द्वारा चल/अचल संपत्ति के अधिग्रहण/निपटान के मामले सीएसआईआर को भेजे जाएंगे।

भवदीया,

20/7/12
(अंजलि तिवारी)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
2. महानिदेशक, सीएसआईआर कार्यालय
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर कार्यालय
4. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर कार्यालय
5. वरिष्ठ उप सचिव (मानव संसाधन)
6. उप सचिव (पीडी)/उप सचिव (के.का.)/उप सचिव (कॉम्प्लेक्स)
7. सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, सीएसआईआर मुख्यालय - इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित